# न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी

## परिवाद संख्या–5335 / 2020

गीता देवी बनाम महेन्द्र आदि

13.01.2021

पत्रावली आज परिवादिनी के परिवाद में तलबी के बिन्दु पर आदेशार्थ नियत है। विगत तिथि को परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है।

पत्रावली का परिशीलन किया।

परिवादिनी द्वारा कथन किया गया है कि विपक्षीगण महेन्द्र, धर्मेन्द्र, राजेन्द्र व शिव नरेश द्वारा परिवादिनी के घर में घुस कर उसके साथ छेड़खानी की गयी एवं विरोध करने पर गाली गलौज करते हुए मार पीट की गयी एवं जान से मारने की धमकी दी गयी।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादिनी ने अपने कथनों के समर्थन में धारा–200 दं0प्र0सं0 में स्वंय का एवं धारा 202 दं0प्र0सं0 में पी0डब्लू0–1 रूपा देवी एवं पी.डब्लू.–2 शकुन्तला देवी का बयान अंकित कराया है। उक्त साक्षीगण ने परिवादपत्र एवं परिवादी के कथनों का समर्थन किया है।

प्रस्तुत मामले में परिवादी द्वारा दाखिल मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर विपक्षी शिव नरेश के विरूद्ध धारा–452, 354, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 व विपक्षीगण महेन्द्र, धर्मेन्द्र व राजेन्द्र के विरूद्ध धारा–452, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किये जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार अभियुक्त शिव नरेश धारा–542, 354, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 व अभियुक्तगण महेन्द्र, धर्मेन्द्र व राजेन्द्र धारा–452, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किये जाने विचारण हेतु तलब किये जाने योग्य हैं।

**आदेश**

अभियुक्त को शिव नरेश धारा–542, 354, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 को अन्तर्गत व अभियुक्तगण महेन्द्र, धर्मेन्द्र व राजेन्द्र को धारा–452, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किया जाता है। धारा 204 दं0प्र0सं0 का अनुपालन करने के पश्चात अभियुक्तगण को समन जारी हो।

पत्रावली अभियुक्तगण की उपस्थिति हेतु दि0 15.02.2021 को पेश हो।

(कुलदीप सिंह–III)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कौशाम्बी।